अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

परिवाद पत्र संख्याः–114/2011
टी0 आर0 नं0:– 596/2018
Cis No—29/2014

22.11.2018 अभियुक्त किशोर विन्द की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया । परिवादी अनुपस्थित है ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता पुकार पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक निवेदन करते है कि परिवादी की ओर से आरोप पूर्व एक भी साक्षी को प्रस्तुत नही किया गया है । परिवादी एवं अभियुक्त की ओर से संयुक्त संधि आवेदन अभिलेख पर दाखिल है । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन हेतु कोई साक्ष्य नही है । अतः अभियुक्त किशोर विन्द को उक्त वाद से उन्मोचित किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि परिवादी के द्वारा उक्त वाद में आरोप पूर्व गवाही नही दी गई है । परिवादी को आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु दिनांक–08.08.2018 को अंतिम अवसर दिया गया है परन्तु उसके अगली नियत तिथि दिनांक–03.10.2018 को आरोप पूर्व साक्षी को प्रस्तुत नही किया गया तब अंततः आरोप पूर्व साक्ष्य बंद किया गया । अभिलेख पर परिवादी की ओर से संधि हेतु अनुमति आवेदन एवं दोनो पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल है । अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी विगत तिथि दिनांक–05.04.2016 से अनुपस्थित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि परिवादी को उक्त वाद में रूची नही है । अंतर्गत धारा 406 एवं 420 भा0दं0सं0 सुलहनीय है तथा परिवादी दिनांक–05.04.2016 से अनुपस्थित है । अतः इस वाद को अगली तारीख तक स्थगित करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है । उपरोक्त अभियुक्त किशोर विन्द के विरूद्ध धारा 406 एवं 420 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप गठन हेतु, अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है । ऐसी स्थिति में अभियुक्त किशोर विन्द को उन पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 406 एवं 420 भा0दं0सं0 से अंतर्गत धारा 249 दं0प्र0सं0 मे तहत उन्मोचित किया जाता है । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अभिलेख को जमा करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।